# ...यालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या – 14/2020

दायर दिनांक – 11.08.2020

निर्णय दिनांक – 26.11.2021

जीसीएमएस नं0 –2020/00037

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थी गण |
|---|---|---|
| 1. श्री प्रताप पुत्र स्व. श्री चदर जाति रेगर निवासी गंगा माई के मन्दिर के पास बड़ी बस्ती पुष्कर जिला अजमेर हाल निवासी महागुरू आश्रम के पास देवनगर रोड़ ग्राम बांसेली, तहसील पुष्कर जिला अजमेर जरिये मुख्तयारनामा आम श्री अजयप्रकाश पुत्र श्री प्रताप पुत्र स्व. श्री चदर जाति रेगर निवासी गंगा माई के मन्दिर के पास बड़ी बस्ती पुष्कर जिला अजमेर। | | 1. श्री गंगाराम पुत्र स्व. श्री लुम्बा जाति रेगर निवासी कपालेश्वर शिव मन्दिर के पीछे मेला ग्राउण्ड के पीछे मैन नई सड़क पुष्कर जिला अजमेर।<br>2. श्री नाथूराम पुत्र श्री बनाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम मालीयों की ढाणी ईनाना जिला नागौर।<br>3. श्री सुधीर कुमार पुत्र श्री सुखपाल जाति मेघवाल निवासी अमर कॉलोनी बड़ी बस्ती पुष्कर जिला अजमेर।<br>4. श्रीमती कौशल्या पत्नी श्री श्यामसुन्दर<br>5. श्री अशोक कुमार पुत्र श्री श्यामसुन्दर<br>6. सत्यनारायण पुत्र श्री श्यामसुन्दर<br>7. गिरीराज पुत्र श्री श्यामसुन्दर<br>8. हीरालाल पुत्र श्री जगन्नाथ<br>9. मुरलीधर पुत्र श्री जगन्नाथ<br>10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर। |

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:50:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–1. श्री सरफुद्दीन, अधि0, प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार पुष्कर

## –: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131 व 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत ग्राम पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि की वर्तमान जमाबन्दी के खाता सं0 919 एवं 101 के खसरा नंबरान के राजस्व नक्शा ट्रेस को साबिक राजस्व नक्शा ट्रेस के अनुसार दुरूस्त कर तरमीम किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थी अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी ने उल्लेख किया है कि ग्राम पुष्कर तहसील पुष्कर में अवस्थित आराजी जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

| खाता सं0 | खसरा सं0 | क्षेत्रफल (है0) |
|---|---|---|
| नया 919<br>पुराना 101 | 96 | 0.4600 |

| खाता सं0 | खसरा सं0 | क्षेत्रफल (है0) |
|---|---|---|
| नया 101<br>पुराना 101 | 103<br>90<br>91<br>92 | 0.59<br>0.42<br>0.72<br>0.25 |
| कुल किता 04 | | 1.98 |

उक्त कृषि आराजी की जमाबंदी संवत् 2068–2071 से आधार जमाबंदी से साबित है और मौके पर प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 अपने–अपने हिस्से पर काबिज हैं और उक्त संपत्ति आराजी पर खातेदारी अनुसार व आधिपत्य की है और प्रार्थीगण उक्त आराजी का उपयोग व उपभोग कर रहे हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:50:00 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में

26.11.21
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

प्रार्थी सं0 1 लगायत 9 के खिलाफ बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण 04.01.2021 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं0 10 तहसीलदार, पुष्कर द्वारा हाजिर होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। दिनांक 26.11.2021 को वकील प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी पेश किया, जिसे स्वीकार किया जाकर शामिल मिसल किया गया।

इस संबंध में पैरोकार सरकार/तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक/तह. पुष्कर/कोर्ट/2021/2251 दिनांक 08.11.2021 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि "वर्तमान जमाबंदी 2068–71 सेग्रीगेशन में खसरा नंबर 96 रकबा 0.46 है0 नाथूराम पुत्र बनाराम हि. 251/4600 जाति मेघवाल सा. मालियों की ढाणिया, ईनाणा नागौर खातेदार व प्रताप पुत्र चदर हिस्सा 2091/4600 जाति रेगर सा.देह व सुधीर कुमार पुत्र सुखपाल हि. 167/4600 जाति मेघवाल सा. अमर कॉलोनी बड़ी बस्ती पुष्कर के नाम दर्ज है। वादीगण द्वारा वाद पत्र के बिन्दु सं0 6 में केवल खसरा नंबर 96 में साबिक नक्शे अनुसार दुरूस्ती का अनुतोष चाहा गया, जिस संबंध में साबिक नक्शे एवं हाल नक्शें का तुलनात्मक अध्ययन एवं मिलान किया गया। साबिक नकशे एवं हाल नक्शें में साबिक खसरा नंबर 380 के नवीन खसरा नंबर 96 के मिलान पर दोनों नक्शों में दक्षिणी एवं पूर्वी सीमा में अंतर पाया गया। दोनों नक्शों के तुलनात्मक अध्ययन अनुसार वर्तमान नक्शें में खसरा नंबर 96 को साबिक खसरा नंबर 380 के अनुसार दुरूस्त किया जाने हेतु नियमानुसार निर्णय किया जाना उचित होगा।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों साक्ष्यों यथा – तहसीलदार पुष्कर की रिपोर्ट तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र/सहमति पत्र इत्यादि से यह प्रतीत होता है कि राजस्व ग्राम पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के खसरा नंबर 96 रकबा 0.46 है0 को साबिक खसरा नंबर 380 के राजस्व नक्शा ट्रेस के अनुसार दुरूस्त किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:50:00 IST
Reason: SelfAttested

**–:: क्रियात्मक आदेश ::–**

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131 व 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार पुष्कर को आदेशित किया जाता है कि

26.11.21
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

ग्राम पुष्कर तहसील पुष्कर के खसरा नंबर 96 रकबा 0.46 है0 के नवीन राजस्व नक्शा ट्रेस को साबिक खसरा नंबर 380 के राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार दुरूस्त किया जावें (संलग्न नक्शा ट्रेस को निर्णय का भाग समझा जावें)। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2021 को मेरे द्वारा सरे–इजलास सुनाया गया।

26.11.21

सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पुष्कर (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:50:00 IST
Reason: SelfAttested